राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका संख्या-860/2003
राम कंवरी बाई बनाम रमेश चन्द्र व अन्य
दिनांक-**06.12.2007**

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री संजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता,परिवादिनी- निगरानीकर्ता की ओर से

--

परिवादिनी-निगरानीकर्ता राम कवंरी की ओर से यह निगरानी याचिका अपर सेशन न्यायाधीश, झालावाड़ द्वारा नियमित आपराधिक अपीलसंख्या-50/2003 में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 30.06.2003 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फास्ट ट्रेक, झालावाड़ द्वारा आपराधिक प्रकरण संख्या 774/02 में पारित निर्णय दिनांक 04.04.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विपक्षी- अभियुक्तगण की धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में की गयी दोष सिद्धी की तो पुष्टी की लेकिन धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता के स्थान पर अभियुक्तगण को धारा 447 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का दोष सिद्ध करते हुए उन्हें धारा-4 परीविक्षा अधिनिमय का लाभ दिया साथ ही प्रत्येक आहत को 500/- 500/- रूपये व अभियोजन व्यय के 500/- रूपये खर्चे के भी दिलाये जाने का आदेश दिया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता को इस निगरानी की ग्राहयता पर सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय सामग्री का अवलोकन किया गया।

अभियोजन मामले के अनुसार विपक्षी-अभियुक्तगण के विरूद्ध परिवादिनी के मकान का किवाड़ तोड़कर घुसने का आरोप लगाया गया है लेकिन मौके पर दरवाजा टूटा हुआ नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त इस संदर्भ में साक्षीगण की साक्ष्य में आये विरोधाभास व अन्य समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश, झालावाड़ द्वारा अभियुक्तगण की धारा 452 के स्थान पर धारा 447 भारतीय दण्ड संहिता के

अपराध में जो दोष सिद्धी की गयी है, उसमें कोई विधि विरूद्धता अथवा अनुचितता परिलक्षित नहीं हो रही है।

फलस्वरूप इस निगरानी याचिका में कोई सार नहीं होने के कारण इसे इसी प्रक्रम पर निरस्त किया जाता है।

(न्या0 जितेन्द्र राय गोयल)